



2026:AHC:17142

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 45436 सन् 2025

नन्दलाल प्रसाद

..... याचिककर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिककर्ता(गण) के अधिवक्ता: ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाडिया

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रतिवादी को नोटिस देने तथा इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लम्बित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित हो, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
3. वर्तमान याचिका में याची द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 / उप-खण्ड अधिकारी, तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर को दिनांक 18.09.2025 को दायर पुनर्स्थापना आवेदन, वाद संख्या टी202514290401129 (रामनन्दन बनाम राम चन्दर एवं अन्य) को शीघ्रता से निर्णीत करने का निर्देश दिया जाए।
4. यह विषय प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष लम्बे समय से लम्बित है तथा पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है, फिर भी आज तक विषय में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, वर्तमान याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 2/ उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर पुनर्स्थापना आवेदन को विधि के अनुसार अत्यंत शीघ्रता से, तथा अधिमानतः प्रतिवादी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संख्या 2 के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर, बिना किसी अनावश्यक स्थगन के, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो, निर्णीत करें।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

22 जनवरी, 2026

सक्रलैन

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।